**Bill No. 34 of 2015**

# THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2015

**(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

*A*

*Bill*

*to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 in its application to the State of Rajasthan.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education (Rajasthan Amendment) Act, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 8, Central Act No. 35 of 2009.-** After the existing clause (ii) of the explanation to clause (a) of section 8 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, the following new clause shall be added, namely:-

"(iii) ensure achievement of class appropriate learning level by every child of the age of six to fourteen years;".

**3. Amendment of section 16, Central Act No. 35 of 2009.-** In section 16 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that if a child has not achieved class appropriate learning level in a class, he may be held back in that class.".

**4. Amendment of section 21, Central Act No.35 of 2009.-** In sub-section (2) of section 21 of the principal Act, -

(i) in clause (c), the existing word "and", appearing at the end, shall be deleted ; and

(ii) after the existing clause (c), so amended, and before the existing clause (d), the following new clause shall be inserted, namely :-

"(ca) ensure that teachers perform their duties specified by or under section 24; and".

**5. Amendment of section 24, Central Act No. 35 of 2009.-** In clause (d) of sub-section (1) of section 24 of the principal Act, for the existing expression "as required", the expression "required for achieving class appropriate learning level" shall be substituted.

**6. Amendment of section 29, Central Act No. 35 of 2009.-** In sub-section (1) of section 29 of the principal Act, after the existing expression "curriculum" and before the existing expression "and the evaluation procedure", the expression ", class appropriate learning level" shall be inserted.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 provides right to all children to free and compulsory quality education but after the implementation of this Act some provisions are prohibiting quality education. No detention policy upto class 8th creating problems to such children who are not attaining minimum level of appropriate class. These problems are realized when these children are essentially promoted in the next class. Monitoring of providing quality education to children by the teacher is not done by the school management committee.

It is proposed to bound the State Government and School Management Committee to ensure quality education and to provide that children may not be promoted in higher classes unless they have not aquired class appropriate learning level. Accordingly, sections 8, 16, 21, 24 and 29 of the Act are proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वासुदेव देवनानी,
**Minister Incharge.**

## EXTRACTS TAKEN FROM THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009 (Central Act No. 35 of 2009)

XX XX XX XX XX XX XX

**16. Prohibition of holding back and expulsion.-** No child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education.

XX XX XX XX XX XX XX

**21. School Management Committee.-** (1) xx xx xx xx xx

(2) The School Management Committee shall perform the following functions, namely:-

(a) to (b) xx xx xx xx xx xx xx

(c) monitor the utilisation of the grants received from the appropriate Government or local authority or any other source; and

(d) perform such other functions as may be prescribed:

Provided that the School Management Committee constituted under sub-section (1) in respect of,-

(a) a school established and administered by minority whether based on religion or language; and

(b) all other aided schools as defined in sub-section (ii) of clause (n) of section 2,shall perform advisory function only.

XX XX XX XX XX XX XX

**24. Duties of teachers and redressal of grievances.-** (1) A teacher appointed under sub-section (1) of section 23 shall perform the following duties, namely:-

(a) to (c) xx xx xx xx xx xx xx

(d) assess the learning ability of each child and accordingly supplement additional instructions, if any, as required;

(e) to (f) xx xx xx xx xx xx xx

(2) to (3) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

**29. Curriculum and evaluation procedure.-** (1) The curriculum and the evaluation procedure for elementary education shall be laid down by an academic authority to be specified by the appropriate Government, by notification.

(2) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

**(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)**

**2015 का विधेयक सं.34**

# नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. 2009 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 35 की धारा 8 का संशोधन.-** नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण के विद्यमान खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(iii) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त किये जाने को सुनिश्चित करने की, बाध्यता अभिप्रेत है;"।

**3. 2009 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 35 की धारा 16 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 16 के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यदि किसी बालक ने किसी कक्षा में कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त नहीं किया है, तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकेगा।"।

**4. 2009 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 35 की धारा 21 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) में,-

(i) खण्ड (ग) के अन्त में आये विद्यमान शब्द "और" को हटाया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (घ) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(गक) यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं; और"।

**5. 2009 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 35 की धारा 24 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "यथा अपेक्षित" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए अपेक्षित" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**6. 2009 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 35 की धारा 29 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पाठ्यक्रम" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया" के पूर्व, अभिव्यक्ति", कक्षा का समुचित अधिगम स्तर" अन्त:स्थापित की जायेगी।

---

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सभी बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार उपबंधित करता है किन्तु इस अधिनियम के क्रियान्वयन के पश्चात् ऐसा देखा गया है कि इस अधिनियम के कतिपय उपबंध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रतिषिद्ध कर रहे हैं। आठवीं कक्षा तक किसी एक कक्षा में न रोकने की नीति (No detention Policy) से ऐसे बालकों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो समुचित कक्षा का न्यूनतम स्तर प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ये समस्याएं तब महसूस होती हैं जब इन बालकों को अगली कक्षा में आवश्यक रूप से प्रोन्नत कर दिया जाता है। अध्यापक द्वारा बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिये जाने की मानीटरी विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नहीं की जाती है।

यह प्रस्तावित है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए और यह उपबंध करने के लिए कि बालकों को तब तक उच्चतर कक्षाओं में प्रोन्नत न किया जाये जब तक कि उन्होंने उस कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त न कर लिया हो, राज्य सरकार और विद्यालय प्रबंध समिति को पाबंद किया जाये। तदनुसार, अधिनियम की धारा 8, 16, 21, 24 और 29 संशोधित की जानी प्रस्तावित हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वासुदेव देवनानी,
**प्रभारी मंत्री।**

## नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) से लिये गये उद्धरण

**XX XX XX XX XX**

**16. रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध.-** किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।

**XX XX XX XX XX**

**21. विद्यालय प्रबंध समिति.-** (1) XX XX XX XX XX

(2) विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) से (ख) XX XX XX XX XX

(ग) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मानिटर करना; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं:

परंतु,-

(क) अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी विद्यालय, चाहे वह धर्म आधारित हो या भाषा आधारित हो; और

(ख) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में यथा परिभाषित अन्य सभी सहायक प्राप्त विद्यालयों,

के संबंध में उपधारा (1) के अधीन गठित विद्यालय प्रबंध समिति केवल सलाहकार संबंधी कृत्यों का पालन करेगी।

**XX XX XX XX XX**

**24. शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना.-** (1) धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

(क) से (ग) XX XX XX XX XX

(घ) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना;

(ङ) से (च) XX XX XX XX XX

(2) से (3) XX XX XX XX XX

**XX XX XX XX XX**

**29. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया.-** (1) प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी।

(2) XX XX XX XX XX

**XX XX XX XX XX**

**<u>2015 का विधेयक सं.34</u>**

# नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

**राजस्थान विधान सभा**

---

**निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में संशोधित करने के लिए विधेयक।**

---

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

---

पृथ्वी राज,
**विशिष्ट सचिव।**

**(वासुदेव देवनानी, प्रभारी मंत्री)**

**Bill No. 34 of 2015**

# THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2015

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

*A*

*Bill*

*to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 in its application to the State of Rajasthan.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

Prithvi Raj,
**Special Secretary.**

(Vasudev Devnani, **Minister-Incharge**)